भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 49

(दिनांक 06.02.2024 को उत्तर देने के लिए)

पत्रकारों को न्याय प्रदान करना

***49. श्री बैन्नी बेहननः**

श्री के. सुधाकरनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जेल में बंद अनेक पत्रकारों को, जिन्हें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के अंतर्गत अनुचित और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, त्वरित न्याय और मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के और क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) भारत की ग्लोबल प्रेस फ्रीडम सूचकांकों में लगातार कमी और निम्न निष्पादन के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कारपोरेट विज्ञापन राजस्व पर अत्यधिक निर्भर या बड़े समूहों द्वारा नियंत्रित समाचार संगठनों की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06.02.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *49 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने और अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून पत्रकारों को भी कवर करते हैं। कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूएपीए में पर्याप्त सांविधिक सुरक्षा उपाय हैं।

गृह मंत्रालय ने भी समय-समय पर पत्रकारों की सुरक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट एडवाइजारी जारी की है। पत्रकारों की सुरक्षा पर 20 अक्टूबर, 2017 को एडवाइजारी जारी की गई है जिसमें राज्य सरकारों से मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया गया है, जो वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख): विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' संगठन द्वारा जारी किया जाता है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सरकार विभिन्न कारणों से इस संगठन द्वारा सूचकांक में भारत की रैंकिंग के संबंध में निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है, जिनमें बहुत कम नमूना आकार, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को बहुत कम या कोई महत्व नहीं देना, एक ऐसी पद्धति को अपनाना, जो संदिग्ध और गैर-पारदर्शी आदि है, शामिल हैं।

(ग): प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) एक सांविधिक स्वायत निकाय की स्थापना मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने के लिए की गई है। हालाँकि, सरकार मीडिया घरानों के वित्तीय और परिचालन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, ये प्रतिस्पर्धी बाजार संचालित माहौल में काम करते हैं।

****